वर्ष: 03 अंक: 04

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - नवंबर - 2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 03 अंक: 04

नवंबर 2023

National Commission for Scheduled Castes

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का सिलसिला जारी है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 27वां अंक है। आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 26 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इन अंकों के प्रकाशन के बीच कमियों को काफी हद तक दूर करने के प्रयास किये गये हैं। फिर भी मानवीय गुणों के कारण त्रुटियां होना संभव है। लेकिन हम सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) के निर्देशानुसार आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को इस अंक में संकलित किया गया है। इस अंक में आयोग द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षणों, विभिन्न संस्थानों की समीक्षा बैठक, आयोग मुख्यालय व राज्य कार्यालयों में की गई जनसुनवाई, आयोग की आतंरिक बैठक समेत देश भर के कई बड़े मामलों को शामिल किया गया है। नवंबर माह में आयोजित संविधान दिवस आयोजन को भी इस अंक में शामिल किया गया है। आशा है कि मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहेगा।

धन्यवाद

(संपादक)

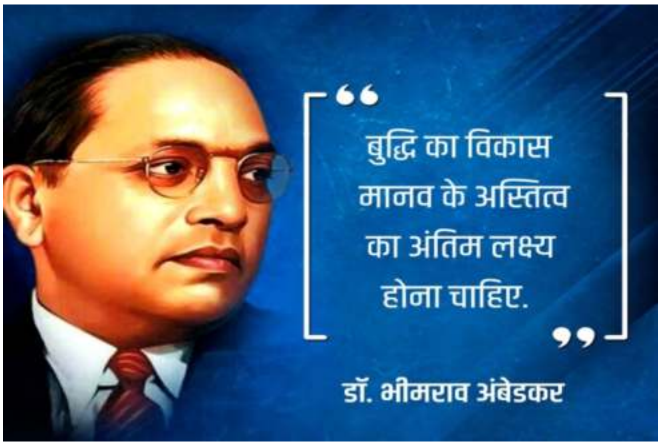

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

@NCSC_GoI　@NCSC.GoI　@ncsc_goi

Koo
@NCSC

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) का संदेश

श्री अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के 27वें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग अपनी मासिक पत्रिका के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए भरसक प्रयास करता रहा है कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध व वचनबद्ध है। बीते नवंबर माह में आयोग ने महाराष्ट्र राज्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की।

इस समीक्षा बैठक में आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीया सदस्या डॉ. अंजू बाला भी मौजूद रहीं। इस दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। कई मामलों में आयोग ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। पश्चिम बंगाल के राघबपुर मछलंदापुर पीएस गोबरदंगा उत्तर 24 परगना में बलात्कार और हत्या के मामले बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले की शिकायत मिलते ही स्वयं स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचा और जरूरी निर्देश जारी किए।

यह भी बताना चाहूंगा कि आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई और सभी संभव प्रयास कर रहा है। देश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आयोग तक पहुंच को आसान बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुंबई में अब नया राज्य कार्यालय तैयार किया जा रहा है।

बीते माह आयोग के एक दल ने बन रहे इस राज्य कार्यालय के निर्माण कार्य व व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। नवबंर माह में आयोग मुख्यालय में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली।

नवंबर माह के दौरान छठे आयोग की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी, माननीया सदस्या डॉ. अंजू बाला, सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोग के बेहतर कामकाज को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का दूरगामी परिणाम होगा। इस बैठक में लिए गए अहम फैसले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे।

आपका सहयोग हमें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आपसे आगे भी ऐसी ही सकारात्मक सहयोग की आशा रहेगी।

जय हिंद !
सादर धन्यवाद

अरूण हालदार
अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

@arunhalderncsc

बैठक

आयोग की 10वीं बैठक संपन्न

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के छठे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की 10 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। दसवीं बैठक 23 नवंबर 2023 को हुई। यह बैठक नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के माननीय अध्यक्ष (प्रभारित) श्री अरूण हालदार ने की। इस दौरान आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला मौजूद रहीं।

आयोग के सचिव श्री जी. श्रीनिवास, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर, निदेशक श्री कौशल कुमार, उपसचिव बनमाली नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के कामकाज को लेकर चर्चा की गई।

समीक्षा बैठक

महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने नवंबर माह में महाराष्ट्र राज्य का आधिकारिक दौरा किया। यह दौरा आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार के नेतृत्व में किया गया। दो दिवसीय आधिकारिक दौरे में आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी व माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला भी शामिल थीं।

इस दौरान मुंबई में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाएं,केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं,राज्य सरकार की योजनाओं जैसे आवास भूमि, रोजगार, छात्रवृत्ति व अन्य संबंधित योजनाएं, हाथ से मैला ढोने आदि में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास, संविधान के तहत अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए सेवा सुरक्षा उपायों की समीक्षा आयोग ने की।

समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित विषयों पर भी समीक्षात्मक बातें हुईं। इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव (गृह विभाग), पुलिस महानिरीक्षक और सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नाबालिग से बलात्कार मामले में SC/ST एक्ट के तहत मामला नहीं किया दर्ज : आयोग

पश्चिम बंगाल के राघबपुर मछलंदापुर पीएस गोबरदंगा उत्तर 24 परगना में बलात्कार और हत्या के एक मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले की शिकायत मिलते ही आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरूण हालदार स्वयं स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने निरीक्षण के बाद कई सिफारिशें की जिनमें सह-अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करना शामिल था। साथ ही उन्होंने सिफारिश की कि चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं एफआईआर में शामिल की जाए। निरीक्षण के बाद माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामला एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (पीओए अधिनियम) के तहत दर्ज नहीं किया गया था।

इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पीओए अधिनियम लागू करने का आदेश दिया,जिसकी एक प्रति 72 घंटे के भीतर आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को पीओए अधिनियम के तहत मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश जारी किया।

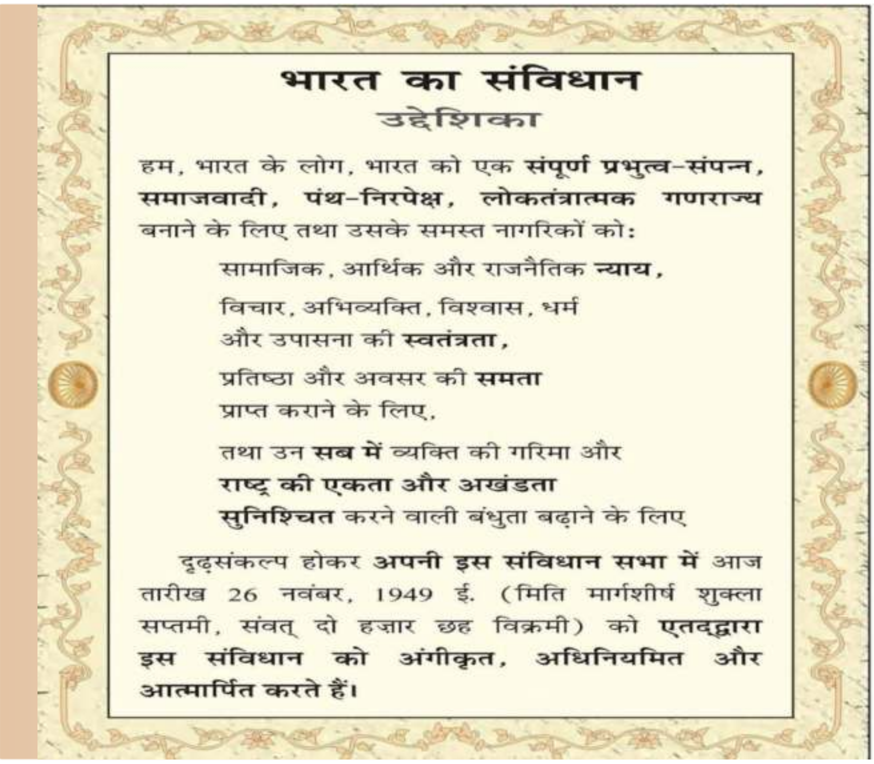

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

आयोग मुख्यालय में "संविधान दिवस" का आयोजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोग के सचिव श्री जी. श्रीनिवास ने आधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई।

बता दें कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूर्व में इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था।

लेकिन साल 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर संविधान दिवस कर दिया। दरअसल, 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान को अंगीकार किया गया था।

इसके बाद 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल संविधान अपनाने की तारीख को याद करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है।

नए राज्य कार्यालय का लिया जायजा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरुण हालदार व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने मुंबई में बन रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालय का जायजा लिया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीया सदस्या डॉ. अंजू बाला ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में आए लोगों के साथ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। माननीय उपाध्यक्ष ने समस्याओं को दूर कराने के लिए भरोसा दिलाया।

आयोग मुख्यालय में समस्याएं सुनीं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में लोगों की जन समस्याएं सुनीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने उनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते न्यायोचित कार्यवाही कर मामलों का निस्तारण किया। इस दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

खबरों में आयोग

(... partly hidden headline) ছাত্রীর পরিবারের

Published by: Sucheta Sengupta | Posted: November 5, 2023 9:29 pm | Updated: November 5, 2023 9:31 pm

অর্ণব দাস, বারাসত: বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করায় খুন (Murder) হতে হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্রীকে। গোবরডাঙা (Gobardanga) থানা এলাকার মছলন্দপুরের এই ঘটনায় পুলিশি তদন্ত নিয়ে খুশি নয় তার পরিবার। তারা চাইছে সিবিআই (CBI) তদন্ত। রবিবার এলাকায় গিয়েছিলেন ন্যাশনাল তফসিলি জাতি (SC)কমিশনের প্রতিনিধিরা। তাঁ কাছেই ক্ষোভ উগরে দেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। যদিও বারাসতের পুলিশ সুপারের দাবি, তদন্ত ঠিক প এগোচ্ছে।

গোবরডাঙা থানার মছলন্দপুরে নবম শ্রেণীর ছাত্রী খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল এক নাবালক। রবিবার ন্যাশনাল এসসি কমিশনের প্রতিনিধিরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলি বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন পরিবার এবং প্রতিবেশীরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে না ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার বলেন, “পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম। তারা ন্যায়বিচার পুলিশ সাদা কাগজে সই করিয়েছে। এতে আমাদের আপত্তি আছে। পুলিশ যদি এই মামলা তাহলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

TH India World Opinion Sports e-Paper FREE TRIAL

HOME / NEWS / INDIA / OTHER STATES

IIT-Kanpur accused of facilitating discrimination by recruiters

Complainant, an alumnus, says recruiting companies are discriminating by making entrance test ranks mandatory for applications

November 14, 2023 10:29 pm | Updated 10:29 pm IST – New Delhi

ABHINAY LAKSHMAN

COMMENTS SHARE READ LATER

As Indian Institutes of Technology across the country start campus placements, a complaint has been filed with the Education Ministry, Social Justice Ministry and the National Commissions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, alleging that the Placements Office at IIT-Kanpur was allowing recruiting companies to discriminate against prospective candidates based on their caste or socio-economic category.

TH India World Opinion Sports e-Paper FREE TRIAL

HOME / NEWS / CITIES / TIRUCHIRAPALLI

Death of Dalit boy in Pudukottai | National Commission for Scheduled Castes conducts inquiry

The deceased boy was a class XI student of Government Boys Higher Secondary School at Keeranur. Udayalipatti police which had initially registered a case of suspicious death subsequently altered it unde the SC/ ST (Prevention of Atrocities) Act

November 08, 2023 02:55 pm | Updated November 17, 2023 01:09 pm IST - PUDUKOTTAI

THE HINDU BUREAU

COMMENTS SHARE READ LAT

The Director of National Commission for Scheduled Castes S. Ravivarman handing over a cheque for ₹6 lakh to the father of the Dalit boy at Koppampatti village in Pudukottai district on November 7, 2023 | Photo Credit: Special Arrangement

---

ETV ভারত পশ্চিমবঙ্গ West Bengal

Visva-Bharati Plaques Controversy: বঙ্কিম-শ্যামাপ্রসাদকে মুছে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আন্দোলন, মন্তব্য এসসি কমিশনের চেয়ারম্যানের

ETV Bharat Bangla Desk Published: Nov 4, 2023, 10:03 PM Follow Us

বোলপুর, 4 নভেম্বর: বঙ্কিম-শ্যামাপ্রসাদকে মুছে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তা নিয়ে আন্দোলন নেই, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। বোলপুরে একটি অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শনিবার এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অরুণ হালদার। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিশনেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ইউনেসকোর তরফে শান্তিনিকেতনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পর এই সম্মানকে সামনে রেখে বিশ্বভারতীতে একটি ফলক বসায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই ফলকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম থাকলেও, ওই ফলকে নাম নেই স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই নিয়েছে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এদিন জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অরুণ হালদার আরও বলেন, "রবীন্দ্রনাথের নাম না-থাকলে কী এসে যায়, রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়ে আছে।" তৃণমূল এই বিষয়টিকে ইস্যু করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আন্দোলন করছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

গত 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ইউনেসকোর কাছ থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। সেই সংক্রান্ত 3টি শ্বেত পাথরের ফলক বসানো হয়েছে বিশ্বভারতীতে। তাতে আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। ফলক থেকে স্রষ্টা স্বয়ং গুরুদেব। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 9 দিন ধরে চলছে ধরনা বিক্ষোভ।

আরও পড়ুন: বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে দিল্লির কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি মমতার

এদিন বোলপুরে বেসরকারি একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেন জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অরুণ হালদার। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। বিশ্বভারতীতে ফলক বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা যায় না। যারা ভাবে তাদের কোনও অর্থেই সমর্থন করা যায় না। তবে সেটা একটা ফলকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোনও মানে হয় না। ফলকে কার নাম থাকল, থাকল না-দেখে রবীন্দ্রনাথ মুছে গেল এটা আরেকটা বাতাবরণ তৈরি করার প্রবণতা।"

তিনি আরও বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যারা আন্দোলন করছে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে করছে। আজকে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম-নিশানা করে মুছে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। তা নিয়ে আন্দোলন নেই। রবীন্দ্রনাথের নাম চলে গেল সেটা নিয়ে আন্দোলন রাস্তায় হচ্ছে।" অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ফলকে না থাকা নিয়ে আন্দোলনকে প্রকারান্তরে তৃণমূলের একটি এজেন্ডা বলেই দাবি করেছেন তিনি। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

राज भवन महाराष्ट्र
Raj Bhavan Maharashtra

Home About Raj Bhavan Governor Notices Documents Public Relations RTI

Home > Public Relations > Press Release > 03.11.2023: Chairman of National Commission for Scheduled Castes meet Governor

03.11.2023: Chairman of National Commission for Scheduled Castes meet Governor

PUBLISH DATE: November 3, 2023

Chairman of National Commission for Scheduled Castes meet Governor

Chairman of the National Commission for Scheduled Castes (Addl. charge) Arun Halder met Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan, Mumbai on Fri (3 Nov).

The Chairman told the Governor that the Commission members reviewed the implementation of various schemes and programmes under the social and economic sector for the welfare of the Scheduled Castes.

Members of the Commission Dr Anju Bala and Subhash Pardhi and senior officials of the Commission were present.

महाराष्ट्र राज्य के आधिकारिक दौरे के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस से राजभवन में भेंट की।

आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्य प्रभारित) श्री अरुण हालदार ने महाराष्ट्र राज्य के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा से शिष्टाचार भेंट की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली-110003